बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

का0आ0सं0–जी0 / बी0डी–01–20–03 / 2019–......43......पटना, दिनांक 23/7/2021

कार्यालय आदेश

पूर्वादेश को विखण्डित करते हुए सक्षम प्राधिकार के निर्णयानुसार निम्नांकित सूची के पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित आवास नियमानुसार आदेय किराया एवं करों के भुगतान की शर्त पर आवास अधिग्रहण की तिथि से आवंटित किया जाता है।

सरकारी आवास आवंटन पटना केन्द्रीय पूल नियमावली 1986 के नियम–10 के अधीन उनसे अनुरोध है कि पत्र प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे कि उन्हें आवंटित आवास स्वीकार है अथवा नहीं। यदि आवंटित आवास स्वीकार है तो उक्त अवधि के अन्दर आवास अधिग्रहण कर भवन निर्माण विभाग को तदनुसार सूचित करेंगे। निर्धारित अवधि के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उन्हें एक वर्ष तक कोई आवास आवंटित नहीं किया जायेगा।

संलग्न सूची में अंकित आवंटी सम्बन्धित कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल से सम्पर्क स्थापित कर आवंटित आवास का प्रभार लेकर उसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को देगें अन्यथा आवंटन आदेश रद्द कर दिया जायेगा।

स्थानान्तरण या अन्य कारणों से पटना स्थित पात्र कार्यालय में पदस्थापन की अवधि समाप्त होने पर उनका आवंटन स्वतः रद्द समझा जाएगा और उनसे सरकारी आवास आवंटन (केन्द्रीय पूल) नियमावली 1986 के नियम–11(2) में विहित प्रावधानों के अनुसार आवास किराया लिया जाएगा।

अगर पटना में आवासी का कोई अपना मकान हो तो नियमावली 1986 के प्रावधान के अनुसार इस संबंध में वे तदनुसार, कार्यपालक अभियंता, कर प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग को आवास अधिग्रहण की स्थिति में, सूचित करेंगे। सरकारी आवास संबंधी किसी भी विषय, विवाद या अनियमितता को आवास आवंटन नियमावली 1986 के नियमों के अनुरूप निस्तारित किया जाएगा।

कंडिका 'क'

क्र.सं.	Reg. ID	नाम/पदनाम/विभाग	विषय	वेतनमान/पे लेवल	आवंटन
1.	BG1882 GZ4433	श्री सलिल शंकर, आप्त सचिव (वाह्य), मंत्री भवन निर्माण विभाग, पटना।	आवास आवंटन का अनुरोध।	53100–167800	U/02 ए0 टू0 जेड0, ऑफिसर्स आवास न्यु पुनाईचक, पटना उनके आप्त सचिव पद पर नियुक्त रहने की तिथि तक।
2.		श्री वीरेन्द्र कुमार, आप्त सचिव (वाह्य), मंत्री उर्जा, योजना एवं विकास विभाग, पटना।	आवास आवंटन का अनुरोध।		74/84 ऑफिसर्स आवास न्यु पुनाईचक, पटना उनके आप्त सचिव पद पर नियुक्त रहने की तिथि तक।

कंडिका 'ख'

1. श्रीमती वर्षा सिंह, संयुक्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना से प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में आवंटित आवास सं0–02 / 60, 60, ऑफिसर्स फ्लैट, बेली रोड, पटना का विखंडन किया जाता है।

2. श्री गोपाल शरण, उप सचिव, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, पटना को उनके अनुरोध के आधार पर आवास सं0–43ए / 60, 60, ऑफिसर्स फ्लैट, बेली रोड, पटना आवंटित किया जाता है।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0 / –
(विनय कुमार)
उप सचिव–सह–भू सम्पदा पदाधिकारी।

ज्ञापांकः– जी0/बी0डी–01–20–03/2019- 3896(अ) पटना, दिनांकः– 23/7/2021

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भ. नि. वि., बिहार, पटना/ मुख्य अभियन्ता, पटना, भ. नि. वि., बिहार, पटना/मुख्य निगरानी पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, पटना/ निदेशक(तकनीकी), एन.आई.सी. पटना/अधीक्षण अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल, भवन निर्माण विभाग, पटना/सभी संबंधित आवंटितगण पदाधिकारियों/कार्यपालक अभियंता, पाटलिपुत्र भवन प्रमंडल, पटना/कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय भवन प्रमंडल, पटना/कार्यपालक अभियंता, पटना भवन प्रमंडल, पटना/कार्यपालक अभियंता, कर प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, पटना/कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल, पटना/कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी प्रमंडल, पेसू, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी भू–सम्पदा प्रशाखा/आई.टी. मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना /कनीय अभियंता (ई0–निवास), भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित प्रमंडलीय कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग से अनुरोध है कि आवंटित आवास का प्रभार आवंटियों को शीघ्र दिला कर आवास अधिग्रहण की सूचना विभाग तथा कार्यपालक अभियंता, कर प्रमंडल को, अधिग्रहण के 15 दिनों के अंदर देने की कृपा करेंगे।

23/7/21

उप सचिव–सह–भू सम्पदा पदाधिकारी।